तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 27/2014** **सीआईएस संख्या 65/2014** **भगवानदास बनाम विनोद कुमार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.03.2026	अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री डी.डी. शर्मा ने उपस्थिति दी व आईन्दा वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी लम्बित है, जिसके बाबत अधिवक्ता प्रतिवादीगण को नोटेड करवाया गया, जिन्होंने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर, सीधे ही बहस करना चाहा। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी । दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में पूर्व में जिस प्रकरण के लम्बित रहने की वजह से हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की गयी थी, वह न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग क्रम सं. 1 अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29-11-25 द्वारा खारिज किया जा चुका है, अतः अब प्रकरण में विधिनुसार कार्यवाही की जावे। जिस तथ्य से अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा सहमति जाहिर की गयी। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21-01-17 द्वारा पूर्ववर्ती वाद जो कि सिविल न्यायाधीश क.ख. प्रथम वर्ग नगर (उत्तर)अजमेर के मुकदमा सं. 37/11 उनवानी विनोद कुमार बनाम भगवानदास व अन्य के लम्बित रहने के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की गयी थी, वह वाद वर्तमान में खारिज होना बताया गया है, जिस तथ्य से अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा इंकार नहीं किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में पूर्ववर्ती संस्थित वाद खारिज किया जा चुका है, अतः अब हस्तगत प्रकरण में विधिनुसार कार्यवाही करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रस्तुती से पूर्व के स्तर जिरह वादी हेतु नियत की जाती है। आईन्दा आवश्यक रूप से साक्ष्य वादी में गवाह पेश करे। प्रकरण निरीक्षण पत्रावली है। जिस बाबत अधिवक्ता वादी द्वारा 15 दिन की पेशी देने का निवेदन किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी/जिरह हेतु दिनांक 28-3-26 को पेश हो । **(नीरज गुप्ता)** **अपर जिला न्यायाधीश,** **क्रम-3, अजमेर** IMRAN Digitally signed by IMRAN Date: 2026.03.13 16:44:27 +0530	

Authenticated document